रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2685] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2014/पौष 10, 1936
No. 2685] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2014/PAUSA 10, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2014

आयकर

का.आ. 3324(अ).- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 144ग की उपधारा (14) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आयकर (विवाद समाधान पैनल) नियमावली, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:—

1. (1) इन नियमों को आयकर (विवाद समाधान पैनल) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जाए ।

(2) वे 1 जनवरी, 2015 को लागू होंगे ।

2. आयकर (विवाद समाधान पैनल) नियमावली, 2009 के, नियम 3 में —

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"(1) कार्यभार के आधार पर तथा कुशल कार्य-पद्धति के लिए बोर्ड नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित स्थानों पर पैनल का गठन करेगा, जिनका क्षेत्राधिकार कॉलम (3) में निर्धारित क्षेत्रों पर होगा ।

तालिका

क्रम सं.	मुख्यालय का नाम	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
(1)	दिल्ली	(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (2) पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर राज्य एवं चंडीगढ़ संघ क्षेत्र (3) उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश राज्य (4) बिहार, ओडिसा एवं झारखंड राज्य

		(5) पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ क्षेत्र
2.	मुम्बई	(1) मुंबई (महा मुंबई नगर निगम तथा नवी मुंबई नगर निगम की क्षेत्रीय सीमाओं में आने वाले क्षेत्र) (2) शेष महाराष्ट्र (3) गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य एवं दमन और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघीय क्षेत्र
3.	बैंगलूरू	कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा राज्य एवं पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप संघीय क्षेत्र

'' ।,

(ii) उप नियम (2) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत:—

''(2) बोर्ड उपनियम (1) में संदर्भित मुख्यालय पर पैनल गठित करेगी तथा प्रत्येक पैनल को सदस्य के रूप में तीन आयकर आयुक्त नियुक्त करेगी ।''

(iii) उप नियम (3) तथा उपनियम (3क) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, नामत:—

''(3) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) अथवा मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) पात्र निर्धारिती को सुनवाई किये जाने का एक अवसर देने के बाद तथा कारणों को रिकार्ड करने के बाद एक मामले को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एक पैनल से दूसरे पैनल को हस्तांतरित कर सकते हैं ।

(3क) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) पात्र निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा कारणों को रिकार्ड करने के बाद एक मामले को निम्नलिखित के क्षेत्राधिकार से हस्तांतरित कर सकता है—

(क) प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) से किसी मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) के क्षेत्राधिकार को,''

(ख) मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) से दूसरे मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) अथवा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) के क्षेत्राधिकार को,''

(iv) उपनियम (5) के लिए निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, नामत:—

''(5) उस क्षेत्र के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान) अथवा मुख्य आयकर आयुक्त (अन्तरराष्ट्रीय कराधान), जहां पैनल का मुख्यालय स्थित है, उपनियम (4) के प्रयोजनार्थ पैनल के लिए सचिवालय का गठन करेगा ।''

[अधिसूचना सं. 91/2014/फा.सं. 500/25/2014-का.आ./-एफटी एंड टीआर-2(1)]

ए. श्रीनिवासा राव, निदेशक (एफटी एंड टीआर-II)